न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

करण संख्या : 597/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर (राज.)

......वादी

बनाम

1. मुकन्दसिंह पुत्र चननसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
2. अमरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
3. बुटासिंह पुत्र काकासिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
4. जलन्धरसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
5. लखविन्द्रसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
6. मोहनसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
7. हरपालसिंह पुत्र बुआसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
8. रिछपालसिंह पुत्र बुआसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
9. लखवन्तकौर पत्नि कुलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
10. बाजसिंह पुत्र कुलवीरसिह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
11. चरणजीतकौर पत्नि गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
12. परमीतसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
13. उधमसिह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
14. गुरदतारसिंह पुत्र कुलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
15. पालसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
16. गुरमीतसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
17. जसकरणसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
18. हरपालसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
19. महेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
20. संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
21. धुलासिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर
22. जोगेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी 17एफएफ तहसील श्रीकरनपुर

.....प्रतिवादी

<u>अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम</u>

--निर्णय-- दिनांक : ०२/०१/२०१९

1. सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार चक 17 एफएफ की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 के खाता संख्या ६६/५२ के मु0 नं0 ६० की कुल भूमि मे मुकन्दसिंह पुत्र चननसिंह 3.163 है0, अमरसिंह पुत्र ईशवरसिंह 3.163 हैक., बुटासिंह पुत्र काकासिंह 1.432 हे0, जलन्धरसिंह पुत्र हाकमसिंह 0.380 है0, लखविन्द्रसिंह पुत्र कर्मसिंह, मोहनसिंह पुत्र हाकमसिंह बहिब. 1.518 है0, हरपालसिंह रिछपालसिंह पि.बुआसिंह बहिब 2.372 है0,बाजसिंह गुरदतारसिह पि. कुलवीरसिंह 0.379 है0,चरणजीतकौर पत्नि गुरदेवसिंह 0.189 है0, गुरमीतसिंह जसकरणसिंह 1.186 हैक.बहिब. राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।
2. चक 17 एफएफ की जमाबन्दी संवत 2054 से 57 मे बलवीरसिंह पुत्र किशनसिंह 125 हिस्सा,बलकारसिंह पुत्र किशनसिंह 125 हिस्सा, अवतारसिंह लखविन्द्रसिंह कुल्दीपसिंह बलवन्तसिंह

पि.बलकारसिंह 125 हिस्सा,गंगोबाई पत्नि ईशवरसिंह 250 हिस्सा, बुटासिंह पुत्र काकासिंह 125 हिस्सा,.महिन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह 70 हिस्सा, शबेकासिंह पुत्र दलीपसिह 50 हिस्सा,धुलासिंह पुत्र दलीपसिह 50 हिस्सा,जोगेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह 70 हिस्सा,दलीपसिंह पुत्र उधमसिंह 210 हिस्सा,उधमसिंह पुत्र बुड़सिंह 50 हिस्सा कुल हिस्सा 1250 हि.राजस्व अभिलेख दर्ज था। जो सही था।

3. इस चक की जमाबन्दी सम्वत 2066 से 69 बनाते समय सहूवन से हरपालसिंह पुत्र रिछपालसिंह का हिस्सा 1.580 हैक0 के स्थान पर 2.372 हैक. दर्ज कर दिया। जो हिस्सा 2.372 हैक की जगह पर 1.580 हैक. दुरूस्तीकरण किया जाना उचित है।

4. बुटासिंह पुत्र काकासिंह 0.395 हैक. रकबा नियम 166 के तहत शुद्धि पत्र 8 द्वारा 1.432 हैक. कर दिया गया है और यह रकबा बैंक के नाम रहन कर दिया गया है। परन्तु शुद्धि प्रमाणित नहीं है और जमाबन्दी में नोट अंकन कर दिया गया है। जबकि रकबा 0.395 हैक. ही होना चाहिये। अतः हिस्सा 1.432 हैक. के स्थान पर 0.395 हैक. ही होना चहिये।

5. जमाबन्दी सवंत 2058 से 2061 बनाते समय सहूवन से महेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.888 हैक. रकबा दर्ज करने से रह गया है। जो जोड़ा जाना उचित है।

6. जमाबन्दी सवंत 2054 से 2057 में संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 50 हि., अर्थात 0.632 हैक. दर्ज था। परन्तु जमाबन्दी 2058 से 61 में बनाते समय सहूवन से संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.380 हैक. रकबा ही दर्ज किया गया। जमाबन्दी सवंत 2066 से 2069 बनाते समय सहूवन से 0.632 हैक. छोड़ दिया गया । अतः संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632 हैक जोड़ा जाना उचित है।

7. जमाबन्दी सवंत 2058 से 2061 बनाते समय सहूवन से धुलासिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632 हैक. छोड़ दिया गया । अतः धुलासिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632 हैक.जोड़ा जाना उचित है।

8. जमाबन्दी सवंत 2058 से 2061 बनाते समय सहूवन से जोगेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.888 हैक. छोड़ दिया गया । अतः जोगेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.888 हैक.जोड़ा जाना उचित है।

9. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो रिकार्ड में त्रुटी का ज्ञान होने के पश्चात अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 1 से 22 की सुनवाई कर चक 17एफ एफ के जमाबन्दी सम्वत 2066 से 69 में जमाबन्दी बनाते समय सहूवन से 1.580 हैक के स्थान पर 2.372हैक. दर्ज कर दिया। जो हिस्सा 2.372 हैक की जगह पर 1.580 हैक. दुरूस्तीकरण किया जाना उचित है। बुटासिंह पुत्र काकासिंह 0.395हैक. रकबा नियम 166 के तहत शुद्धि पत्र 8 द्वारा 1.432 हैक. कर दिया गया है और यह रकबा बैंक के नाम रहन कर दिया गया है। परन्तु शुद्धि प्रमाणित नहीं है और जमाबन्दी में नोट अंकन कर दिया गया है। जबकि रकबा 0.395 हैक. ही होना चाहिये। अतः हिस्सा 1.432 हैक. के स्थान पर 0.395 हैक. ही होना चहिये। जमाबन्दी सवंत 2058 से 2061 बनाते समय सहूवन से महेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.888 हैक. रकबा दर्ज करने से रह गया है। जो जोड़ा जाना उचित है। जमाबन्दी सवंत 2054 से 2057में संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 50 हि. अर्थात 0.632 हैक. दर्ज था। परन्तु जमाबन्दी 2058 से 61 में बनाते समय सहूवन से संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.380 हैक. रकबा ही दर्ज किया गया। जमाबन्दी सवंत 2066 से 2069 बनाते समय सहूवन से 0.632 हैक. छोड़ दिया गया । अतः संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632 हैक जोड़ा जाना उचित है। जमाबन्दी सवंत 2058 से 2061 बनाते समय सहूवन से धुलासिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632हैक. छोड़ दिया गया । अतः धुलासिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632 हैक.जोड़ा जाना उचित है। जमाबन्दी सवंत 2058 से 2061 बनाते समय सहूवन से जोगेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

0.888 हैक्. छोड़ दिया गया । अतः जोगेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.888 हैक.जोड़ा जाना उचित है। डीआईएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रविष्टियों को दरूस्त कर आदेश प्रदान किया जावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पक्षकार बाज सिह, पाल सिह, जलन्धर सिह, बूटा सिह, मुकन्द सिह, अमर सिह, अग्रेज सिह, मोहन सिह,जसकरण सिह, लखविन्द्र सिह स्वंय उपस्थित आये। उपस्थित पक्षकारो के द्वारा सहमति दी एवं सहमति बंटवारानामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7,8,11,12 की तलबी स्वंय से होकर प्राप्त हुई।

तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र मे निम्नानुसार संशोधन किया जावे :-

1. जमाबंदी सम्वत 2062 ता 65 मे बलवीर सिह पुत्र किशन सिह के नाम 125 हिस्सा अर्थात 1.581 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्वत 2066 ता 69 बनाते समय सहवन से बलवीर सिह पुत्र किशन सिह के नाम 2.372 हैक्टर रकबा दर्ज कर दिया गया। जरिये वसीयत इन्तकाल संख्या 471 दिनांक 24.04.2012 द्वारा बलवीर सिह का हिस्सा 2.372 हैक्टर रकबा हरपाल सिह, रिछपाल सिह पुत्र बुआ सिह बहिस्सा वरावर 2.372 हैक्टर दे दिया गया। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 मे हरपाल सिह, रिछपाल सिह का हिस्सा 2.372 हैक्टर के स्थान पर 1.580 हैक्टर दुरूस्तीकरण किया जाना उचित है।
2. बूटा सिह पुत्र काका सिह 0.395 हैक्टर रकबा नियम 166 के तहत शुद्धि पत्र 8 द्वारा 1.432 हैक्टर कर दिया गया यह रकबा बैक के नाम रहन कर दिया गया है। जबकि इनतकाल संख्या 577 विभाजन द्वारा बूटा सिह पुत्र काका सिह के नाम दर्ज 1.581 हैक्टर भूमि मे से 1.186 हैक्टर भूमि अपनी पुत्रों को दे दी गई थी इस प्रकार रकबा 0.395 हैक्टर ही होना चाहिये। अतः हिस्सा 1.432 हैक्टर के स्थान पर 0.395 हैक्टर ही होना चाहिये।
3. जमाबंदी सम्वत 2058 ता 61 बनाते समय सहवन से जोगेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह का हिस्सा 0.888 हैक्टर (70 हिस्सा) छोड़ दिया गया तथा इन्तकाल संख्या 471 से प्राप्त 120 हिस्सा भूमि अंकित कर दी गई। अतः जोगेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह का हिस्सा 0.888 हैक्टर (70 हिस्सा) तथा कुल 2.403 हैक्टर (190 हिस्सा) किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थना पत्र पर पैरोकार राज को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित आये पक्षकारों के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति दी गई है। वाद पत्र के अनुसार उक्त अशुद्धिया रिकार्ड सें संबंधित है जिसे सही किया जाना उचित है। इस संबंध मे पटवारी हल्का के द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्तानुसार शुद्धि किया जाना उचित अंकित किया है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

1. जमाबंदी सम्वत 2062 ता 65 मे बलवीर सिह पुत्र किशन सिह के नाम 125 हिस्सा अर्थात 1.581 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्वत 2066 ता 69 बनाते समय सहवन से बलवीर सिह पुत्र किशन सिह के नाम 2.372 हैक्टर रकबा दर्ज कर दिया गया। जरिये वसीयत इन्तकाल संख्या 471 दिनांक 24.04.2012 द्वारा बलवीर सिह का हिस्सा 2.372 हैक्टर रकबा हरपाल सिह, रिछपाल सिह पुत्र बुआ सिह बहिस्सा बराबर 2.372 हैक्टर दे दिया गया। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 मे हरपाल सिह, रिछपाल सिह का हिस्सा 2.372 हैक्टर चला आ रहा है इसे सही कर 2.372 हैक्टर के स्थान पर 1.580 हैक्टर रकबा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

2. बूटा सिह पुत्र काका सिह 0.395 हैक्टर रकवा नियम 166 के तहत शुद्वि पत्र 8 द्वारा 1.432 हैक्टर कर दिया गया यह रकवा बैक के नाम रहन कर दिया गया है। जबकि इन्तकाल संख्या 577 विभाजन द्वारा बूटा सिह पुत्र काका सिह के नाम दर्ज 1.581 हैक्टर भूमि मे से 1.186 हैक्टर भूमि अपनी पुत्रों को दे दी गई थी इस प्रकार रकवा 0.395 हैक्टर ही होना चाहिये। अतः यह शुद्वि पत्र संख्या 8 निरस्त किया जाता है ओर इन्तकाल संख्या 577 विभाजन द्वारा बूटा सिह पुत्र काका सिह के द्वारा 1.186 हैक्टर भूमि जो अपने लडको को दी गई है वह इन्तकाल संख्या 577 खारिज किया जाता है। इस प्रकार बूटा सिह पुत्र काका सिह के नाम 0.395 हैक्टर भूमि ही दर्ज रहेगी।

3. जमाबंदी सम्वत 2058 ता 61 बनाते समय सहवन से जोगेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह का हिस्सा 0.888 हैक्टर (70 हिस्सा) छोड़ दिया गया तथा इन्तकाल संख्या 471 से प्राप्त 120 हिस्सा भूमि अंकित कर दी गई। अतः जोगेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह का हिस्सा 0.888 हैक्टर (70 हिस्सा) जोड़ जाने के आदेश दिये जाते है। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी मे जोगेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह का कुल 2.403 हैक्टर रकवा रहेगा।

4. जमाबंदी सम्वत 2058 ता 61 बनाते समय सहवन से महेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह का हिस्सा 0.888 हैक्टर दर्ज करने से रह गया जो जोडा जाने के आदेश दिये जाते है। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी मे महेन्द्र सिह पुत्र दलीप सिह का हिस्सा 0.888 हैक्टर रकवा रहेगा।

5. जमाबन्दी सवंत 2054 से 2057 में संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 50 हि. अर्थात 0.632 हैक. दर्ज था। परन्तु जमाबन्दी 2058 से 61 में बनाते समय सहवन से संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.380 हैक. रकवा ही दर्ज किया गया। जमाबन्दी सवंत 2066 से 2069 बनाते समय सहवन से 0.632 हैक. छोड़ दिया गया । अतः संवेगसिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632 हैक जोड़ा जाना के आदेश दिये जाते है। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी मे संवेग सिह पुत्र दलीप सिह का 0.632 हैक्टर रकवा रहेगा।

6. जमाबन्दी सवंत 2058 से 2061 बनाते समय सहवन से धुलासिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632 हैक. छोड़ दिया गया । अतः धुलासिंह पुत्र दलीपसिंह का हिस्सा 0.632 हैक.जोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी मे धुला सिह पुत्र दलीप सिह का हिस्सा 0.632 हैक्टर रकवा रहेगा।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। यह आदेश राज्य सरकार की डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। अप्रार्थीगण मुकन्द सिह, बूटा सिह, जसकरण सिह, गुरमीत सिह, जलन्धर सिह, मोहन सिह, पाल सिह, लखविन्द्र सिह, अमर सिह आदि के द्वारा भूमि का सहमति बटवारानामा पेश किया गया है। यह प्रकरण रिकार्ड की दुरूस्ती संबंधी स्टेंट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर पेश किया गया है जिसमे बटवारानामा किया जाना सम्भव नही है। अप्रार्थीगण के संबंध मे अपना अलग से वाद पेश कर सकते है जिसके लिये वह स्वतंत्र है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner